CONSAM™

CIRCULAR/NOTIFICATION

CIRCULAR/NOTIFICATION Type: EXTERNAL (Internal/External)

CIRCULAR/NOTIFICATION No.: CIL-EXT-CIR/17/040/01 (Eg. HAC-INT-CIR/09/001/01)

Authority by whom issued: CONSAM-CEO (HAC-CEO)

Sign of issuing Authority:

विषय: कॉनसम उत्पाद जैसे चावल, फर्टीलाइजर इत्यादि के सौदे एवं क्वालिटी के संबंध में आवश्यक।

महाशयों,

उपरोक्त विषयक निदेशानुसार कहना है की खासकर चावल के व्यापार के क्रम में कॉनसम के सेल्स-कॉर्डीनेटरों एवं डीलर में भ्रम की स्थिति को देखते हुए बाकायदा कॉनसम कंपनी के द्वारा चावल एवं अन्य सम्बंधित उत्पादों के सौदे के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत की जा रही है क्यूंकि कॉनसम एक निश्चित उद्देश्य एवं मूल्य पर संचालित प्रतिष्ठान है एवं पारदर्शिता कॉनसम के आवश्यक मूल्यों में से एक मूल्य है:

1. अगर कॉनसम चावल के लिए एडवांस लेती है तब चावल का रेट एवं मात्रा तय होना चाहिए एवं अगर ससमय कॉनसम के द्वारा चावल की आपूर्ति नहीं की जाती तब फ़ौरन कॉनसम के द्वारा पैसे लौटने हैं जबकि कॉनसम किसी प्रकार का डिफ़रेंस नहीं देगी बल्कि फ़ौरन पैसे लौटाएगी! इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई में corporate.sales@consam.in पर एक डीलर इ-मेल* करें ताकि उच्च स्तर पर मामले का निष्पादन किया जाए! बिना तय रेट एवं मात्रा के कॉनसम किसी भी प्रकार का एडवांस नहीं लेगी!
2. अगर एक डीलर पर कॉनसम का पिछला बकाया है तब उक्त डीलर से प्राप्त पैसे कॉनसम पहले पिछले बकाए/उधार में एडजस्ट करेगी! यदपि विशेष स्थिति में पिछला बकाया होने के बाद भी अगर कॉनसम के सेल्स - कॉर्डीनेटर कॉनसम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनुमोदित दस्तावेज लिखित (इ-मेल) में देते हैं तब पैसे के एवज में सौदा लिखा जा सकता है!
3. कॉनसम के सेल्स कॉर्डीनेटरों एवं/या अन्य किसी वरीय अधिकारी एवं/या निदेशक के द्वारा भी अगर बिना एडवांस पेमेंट के रेट बताया गया है परन्तु किसी कारणवस माल नहीं भेजा गया हो तब उक्त बताया हुआ रेट वैध नहीं होगा क्यूंकि मार्केट में उतार - चढ़ाव लगा रहता है! उसी माल का रेट वैध होगा जो आपको प्राप्त हो गया है!
4. कॉनसम अपने डीलरों को अपनी निति के अनुसार उचित क्वालिटी का माल देने के लिए वचनबद्ध है! इस स्थिति में अगर एक डीलर कॉनसम की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हैं तब उक्त डीलर सोच - समझ कर माल वापस कर सकते हैं जिसपर लगने वाला भाड़ा कॉनसम देगी! उल्लेखनीय है की माल की क्वालिटी की जांच कॉनसम के सर्वोत्तम स्केल के अधिकारी के स्तर पर होगी एवं अगर उक्त सही पाया गया तब कॉनसम आपसे आगे ख़ुशी - ख़ुशी कार्य करेगी अन्यथा आगे कार्य नहीं करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी!

अतः उपरोक्त के आलोक में यह निदेश दिया जाता है की कॉनसम के सभी सेल्स कॉर्डीनेटरों को इस अधिसूचना के सम्बन्ध में हर महीने आवगत कराया जाए ताकि वह कॉनसम के सभी डीलरों को (नए एवं पुराने) तदानुसार कॉनसम कॉड ऑफ़ कंडक्ट के आलोक में सूचित करें ताकि व्यापार के क्रम में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके!

सधन्यवाद!

CONSAM Industries Pvt. Ltd.
Chief Executive Officer cum Director

Soft-file regd. vide: CIL-CEO-DOC/17/040/16.